



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक. 3959 / कार्य-परिषद् / 2022

रायगढ़, दिनांक 26.12.2022


-:: अधिसूचना ::-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ की प्रथम कार्य-परिषद् के गठन की अधिसूचना क्रमांक 3814 / कार्य-परिषद् / 2022, रायगढ़, दिनांक 24.11.2022 के तारतम्य में तथा माननीया राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के उप-सचिव के पत्र क्रमांक 4-4 / 2022 / रास / यू-15, दिनांक 01.12.2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 (1) (आठ) के प्रावधान अंतर्गत माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा कार्य-परिषद् में निम्नानुसार सदस्यों का नामनिर्देशन किया गया है:-

01. श्रीमती विद्या सिदार, पूर्व सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, छ.ग. शासन, टेमर रेल्वे फाटक, काँजी हाऊस, सुरेन्द्र काम्प्लेक्स के पीछे, मु.पोस्ट-सोँठी, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
02. डॉ. प्रशांत अग्रवाल, निदेशक एवं सलाहकार,
डॉ. आर.एल. हॉस्पिटल, गौशाला रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (2) के अनुसार कार्य-परिषद् के सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

आदेशानुसार


कुलसचिव (प्रभारी)
रायगढ़, दिनांक 26.12.2022

पृ.क्र. 3960 / कार्य-परिषद् / 2022
प्रतिलिपि:-

01. माननीया राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
05. श्रीमती विद्या सिदार, पूर्व सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, छ.ग. शासन, टेमर रेल्वे फाटक, काँजी हाऊस, सुरेन्द्र काम्प्लेक्स के पीछे, मु.पोस्ट-सोँठी, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
06. डॉ. प्रशांत अग्रवाल, निदेशक एवं सलाहकार, डॉ. आर.एल. हॉस्पिटल, गौशाला रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्य-परिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
08. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
09. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
10. सभी विभागाध्यक्ष / विभाग प्रमुख, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।


प्रभारी अधिकारी (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 3957 / कार्य-परिषद् / 2022


रायगढ़, दिनांक 26.12.2022

-:: अधिसूचना ::-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ की प्रथम कार्य-परिषद् के गठन की अधिसूचना क्रमांक 3814 / कार्य-परिषद् / 2022, रायगढ़, दिनांक 24.11.2022 के तारतम्य में तथा माननीया राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के उप-सचिव के पत्र क्रमांक 4-5 / 2022 / रास / यू-15, दिनांक 01.12.2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 (1) (पाँच) के प्रावधान अंतर्गत माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा डॉ. दुजे राम लहरे, प्राचार्य, शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़ को कार्य-परिषद् में नामनिर्देशित किया गया है।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (2) के अनुसार कार्य-परिषद् के सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

आदेशानुसार



कुलसचिव (प्रमारी)

रायगढ़, दिनांक 26.12.2022

पृ.क्रं. 3958 / कार्य-परिषद् / 2022

प्रतिलिपि:-

01. माननीया राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजमवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
05. डॉ. दुजे राम लहरे, प्राचार्य, शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़ को सूचनार्थ।
06. कार्य-परिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
07. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
08. प्राचार्य, सभस्त संबद्ध महाविद्यालय, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
09. सभी विभागाध्यक्ष / विभाग प्रमुख, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।


प्रमारी अधिकारी (अकादमी)